



भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग

Last Updated: July 2022

भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग (Competition Commission of India- CCI) भारत सरकार का एक सांवधिकि नकिय है जो प्रतसिप्रदधा अधनियम, 2002 (Competition Act, 2002) के प्रवरतन के लयि उत्तरदायी है। मारच 2009 में इसे वधिवित रूप से गठति कया गया था।

- राघवन समतिकी अनुशंसा पर एकाधकिर तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधनियम, 1969 (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act- MRTP Act) को नरिस्त कर इसके स्थान पर प्रतसिप्रदधा अधनियम, 2002 लाया गया।
- भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग का उददेश्य नमिनलखिति के माध्यम से देश में एक सुदृढ़ प्रतसिप्रदधी वातावरण तैयार करना है:
 - उपभोक्ता, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों सहति सभी हतिधारकों के साथ सक्रायि संलग्नता के माध्यम से।
 - उच्च क्षमता स्तर के साथ एक ज्ञान प्रधान संगठन के रूप में।
 - प्रवरतन में पेशेवर कुशलता, पारदरशता, संकल्प और ज्ञान के माध्यम से।
- मई 2022 में, वित्त मंत्री ने CCI के 13वें वार्षिक दविस समारोह में भाग लया।
 - वित्त मंत्री ने कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कया और CCI की एक उन्नत वेबसाइट को भी लॉन्च कया।
-

प्रतसिप्रदधा अधनियम, 2002

- प्रतसिप्रदधा अधनियम वर्ष 2002 में पारति कया गया था और प्रतसिप्रदधा (संशोधन) अधनियम, 2007 दवारा इसे संशोधति कया गया। यह आधुनिक प्रतसिप्रदधा वधिनों के दरशन का अनुसरण करता है।
 - यह अधनियम प्रतसिप्रदधा-वरीधी करारों और उद्यमों दवारा अपनी प्रधान स्थतिके दुरुपयोग का प्रतष्ठित करता है तथा समुच्चयों [अर्जन, नयितरण की प्रापती और 'वलिय एवं अधगिरहण' (M&A)] का वनियमन करता है, क्योंकि इनसे भारत में प्रतसिप्रदधा पर व्यापक प्रतकूल प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनती है।
 - संशोधन अधनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग और प्रतसिप्रदधा अपीलीय न्यायाधकिरण (Competition Appellate Tribunal- COMPAT) की स्थापना की गई।
 - वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतसिप्रदधा अपीलीय न्यायाधकिरण (COMPAT) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधकिरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) से प्रतसिथापति कर दया।

CCI की संरचना

- प्रतसिप्रदधा अधनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार दवारा नियुक्त कया जाता है।
 - भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग वर्तमान में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों के साथ कार्यरत है।
- आयोग एक अर्द्ध-न्यायकि नकिय (Quasi-Judicial Body) है जो सांवधिकि प्राधकिरणों को परामर्श देता है तथा अन्य मामलों को भी संबोधति करता है। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूरणकालकि सदस्य होते हैं।
- सदस्यों की पातरता: अध्यक्ष और प्रतयेक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनष्टिता और प्रतष्ठिता वाला ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, या जसिके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अरथशास्त्र, कारोबार, वाणजिय, वधि, वित्त, लेखाकार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतसिप्रदधा संबंधी वषियों में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का ऐसा वशिष ज्ञान और वृत्तकि अनुभव हो जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लयि उपयोगी हो।

CCI की भूमकिए और कार्य

- प्रतसिप्रदधा पर प्रतकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतसिप्रदधा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हतिं की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चिति करना।
- कसी वधिन के तहत स्थापति कसी सांवधिकि प्राधकिरण से प्राप्त संदर्भ के लयि प्रतसिप्रदधा संबंधी वषियों पर परामर्श देना एवं प्रतसिप्रदधा की भावना को संपोषति करना, सार्वजनकि जागरूकता पैदा करना एवं प्रतसिप्रदधा के वषियों पर प्रशक्षिण प्रदान करना।
- भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग अपने उददेश्यों की प्राप्त हितु नमिनलखिति उपाय करता है।

- उपभोक्ता कल्याण: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिये बाज़ारों को कार्यसक्षम बनाना।
- अरथव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी विकास एवं वृद्धि के लिये देश की आरथिक गतिविधियों में निषिपक्ष और स्वस्थ प्रतसिप्रदधा सुनिश्चित करना।
- आरथिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वयिता करने के उददेश्य से प्रतसिप्रदधा नीतियों को लागू करना।
- क्षेत्रीय नियमों के साथ प्रभावी संबंधों व अंतःक्रियाओं का विकास व संपोषण ताकथिप्रतसिप्रदधा कानून के साथ क्षेत्रीय विनियोगकानूनों का बेहतर संरेखण/तालमेल सुनिश्चित हो सके।
- प्रतसिप्रदधा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हतिधारकों के बीच प्रतसिप्रदधा के लाभों पर सूचना का प्रसार करना ताकथिभारतीय अरथव्यवस्था में प्रतसिप्रदधा की संस्कृतिका विकास तथा संपोषण किया जा सके।
- प्रतसिप्रदधा आयोग भारत का प्रतसिप्रदधा विनियोगक (Competition Regulator) है और यह उन छोटे संगठनों के लिये एक स्परदधारोधी प्रहरी/एंटी-ट्रस्ट वाचडॉग (Antitrust Watchdog) के रूप में कार्य करता है जो बड़े कॉर्पोरेशन के समक्ष अपने अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं।
- CCI के पास भारत में व्यापार करने वाले संगठनों को नोटसि देने का अधिकार है यदि उसे लगता है कि वे भारत के घरेलू बाज़ार की प्रतसिप्रदधा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- प्रतसिप्रदधा अधिनियम यह गारंटी देता है कि कोई भी उद्यम आपूरतिके नियंत्रण, खरीद मूल्य के साथ छेड़छाड़ या अन्य प्रतसिप्रदधी फरमों की बाज़ार तक पहुँच को बाधित करने वाले अभ्यासों को अपनाने के रूप में बाज़ार में अपनी 'प्रभावी स्थिति' (Dominant Position) का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- अधिग्रहण या वलिय के माध्यम से भारत में प्रवेश की इच्छुक कसी विदेशी कंपनी को देश के प्रतसिप्रदधा कानूनों का पालन करना होगा।
 - एक निश्चित मौद्रक मूल्य के ऊपर की आस्तियाँ और कारोबार कसी समूह को भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग के द्वायरे में ले आएंगी।

CCI के प्रमुख नियम

- जून 2012 में CCI ने व्यवसायी समूहन या कार्टेलाइज़ेशन (Cartelisation) के लिये 11 सीमेंट कंपनियों पर 63.7 बिलियन रुपये (910 मिलियन डॉलर) का अरथदंड लगाया। CCI ने माना कि इन सीमेंट कंपनियों ने मूल्य नियंत्रण एवं बाज़ार हसिसेदारी पर नियंत्रण के लिये नियमित बैठकें की और आपूरतिको बाधित रखा जिससे उन्हें अवैध लाभ प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2013 में CCI ने भारतीय क्रकिट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर अपनी प्रधान स्थितिके दुरुपयोग के लिये 522 मिलियन रुपये (7.6 मिलियन डॉलर) का जुरमाना लगाया।
 - CCI ने पाया कि IPL टीम के स्वामित्व समझौते अनुचित एवं भेदभावपूरण थे और आईपीएल फ्रेंचाइजी समझौतों की शर्तें BCCI के पक्ष में अधिक थीं साथ ही अनुबंध के संदर्भ में फ्रेंचाइजी के पास कोई शक्ति नहीं थी।
- CCI ने सूचना और दस्तावेजों की माँग करते हुए महानदिशक (DG) द्वारा जारी नियंत्रणों का अनुपालन नहीं करने के लिये वर्ष 2014 में गूगल (Google) पर 10 मिलियन रुपये का जुरमाना लगाया।
- वर्ष 2015 में CCI ने तीन एयरलाइंसों पर 258 करोड़ रुपये का जुरमाना लगाया।
 - भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग (CCI) ने एयर कार्गो पर फ्लूल सरचारज नियंत्रण करने में तीनों एयरलाइंसों के कार्टेलाइज़ेशन के लिये उन्हें दंडित किया।
- रलियंस जियो द्वारा अपने प्रतदिवंदवियों भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विद्युत कार्टेलाइज़ेशन की शक्तियां पर CCI ने भारतीय सेलुलर ऑपरेटर संघ (Cellular Operators Association of India- COAI) के कार्यकलाप की जाँच का आदेश दिया था।
- एंड्रॉइड के मामले में अपनी प्रधान स्थितिके दुरुपयोग कर अपने बाज़ार प्रतदिवंदवियों को प्रतसिप्रदधा से वंचित करने के लिये Google के विद्युत CCI ने एक स्परदधारोधी (Antitrust) जाँच का आदेश दिया। यह जाँच यूरोपीय संघ में एक ऐसे ही मामले के विशेषण के आधार पर आदेशित की गई थी जहाँ Google को दोषी पाया गया था और जुरमाना लगाया गया था।
- वर्ष 2019 में CCI ने हैंडसेट नियमाताओं को एक पत्र जारी कर Google के साथ उनके समझौते के नियमों और शर्तों का विवरण माँगा।
 - ऐसा यह पता लगाने के लिये किया गया कविरश 2011 से 2019 तक की अवधि में Google ने कंपनी के ऐप्स का उपयोग करने के लिये उन पर कोई नियंत्रण आरोपित किया था या नहीं।

CCI की आवश्यकता क्यों?

- मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिये: प्रतसिप्रदधा कानूनों को मुक्त उद्यम के मैग्नाकार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। आरथिक स्वतंत्रता और हमारे मुक्त उद्यम प्रणाली के संरक्षण के लिये प्रतसिप्रदधा महत्वपूरण है।
- बाज़ार को विकृतियों से बचाने के लिये: प्रतसिप्रदधा कानून की आवश्यकता इसलिये उत्पन्न हुई क्योंकि बाज़ार विकलताओं एवं विकृतियों का शक्तिर हो सकता है और विभिन्न अभिकरता कार्टेलाइज़ेशन, अपनी प्रधान स्थितिके दुरुपयोग जैसे प्रतसिप्रदधा विशेषण को सहारा ले सकते हैं जो आरथिक दक्षता और उपभोक्ता कल्याण पर प्रतकूल प्रभाव डालते हैं।
 - इस प्रकार, एक नियमक बल प्रदान करने के लिये प्रतसिप्रदधा कानून की आवश्यकता होती है जो आरथिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है।
- घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये: ऐसे युग में जहाँ अरथव्यवस्थाएँ बंद अरथव्यवस्थाओं से खुली अरथव्यवस्थाओं में प्रणित हो रही हैं, घरेलू उद्योगों की नियंत्रण व्यवहारयता सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी प्रतसिप्रदधा आयोग का होना आवश्यक है जो संतुलन को बनाए रखते हुए उद्यमों को प्रतसिप्रदधा के लाभों का अवसर प्रदान करती है।

CCI की अब तक की उपलब्धियाँ:

- आयोग ने 1,200 से अधिक स्परदधारोधी मामलों का नियमित किया है, यानी स्परदधारोधी मामलों में केस नियमितान दर 89% है।

- इसने अब तक 900 से अधिक वलिय और अधिग्रहण के मामलों की समीक्षा की है, उनमें से अधिकांश को 30 दनों के रकिंगड औसत समय के भीतर मंजूरी दी है।
- आयोग ने संयोजनों/लेन-देनों पर स्वचालित अनुमोदन के लिये 'ग्रीन चैनल' प्रावधान जैसे कई नवाचार भी किये हैं तथा ऐसे 50 से अधिक लेन-देन को मंजूरी दी है।

चुनौतियाँ:

- **डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ:** चूँकि प्रतिसिप्रदाय अधिनियम (2002) के समय हमारे पास एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं थी, अतः CCI को नए डिजिटल युग की तकनीकी बारीकियों को समझना चाहयि।
- **नई बाजार परभिषाक की आवश्यकता:** भारतीय प्रतिसिप्रदाय आयोग को अब बाजार की अपनी परभिषाक को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। चूँकि डिजिटल स्पेस की कोई सीमा नहीं है, अतः प्रासंगिक बाजारों को परभिषाकति करना विश्व भर के नियामकों के लिये एक कठनि काम रहा है।
- **कार्टेलाइज़ेशन से खतरा:** कार्टेलाइज़ेशन से खतरे की संभावना है। चूँकि महामारी के कारण वस्तुओं की वैश्वकि कमी देखी गई है औसूरवी यूरोप में युद्ध के प्रणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
 - इनकी जाँच कर यह सुनिश्चिति करना आवश्यक है कि कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष में उत्तार-चढ़ाव के पीछे कोई एकाधिकार/द्वैतवादी प्रवृत्तियों नहीं है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/competition-commission-of-india>